वास्ते बहस प्रार्थना पत्र त.इ. के लिए दिनांक 4.3.21 को पेश हो।

4.3.21 पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उपस्थित है। पत्रावली में अस्थायी निषेधाज्ञा आगामी तारीख पेशी तक बढ़ायी जाती है। पत्रावली वास्ते बहस प्रार्थना पत्र त.इ. के लिए दिनांक 18.3.21 को पेश हो।

18.3.21 पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उपस्थित है। प्रार्थना पत्र त.इ. मे बहस उभयपक्ष सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया। मूल वाद सं. 141/2017 चतुर्भुज बनाम सरकार मे ताफैसला वाद रेकार्ड एवं मौके की यथा स्थिति बनायी रखी जाने बाबत् निवेदन किया। संक्षेप मे प्रार्थना पत्र का कथन इस प्रकार है कि प्रार्थना पत्र दिनांक 15-10-2020 को दर्ज रजिस्टर किया गया। यह कि ग्राम मानपुरा तहसील नैनवां की भूमि खसरा सं. 64, 66, 67, कुल किता 3 कुल रकबा 5 बीघा भूमि प्रार्थी हेमराज के पिता चतुर्भुज पुत्र जग्मा धाकड़ निवासी मानपुरा को दिनांक 27.11.75 को आवंटन हुई थी। जिसके आवंटन के बाद से ही आवंटी पिता चतुर्भुज ...

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyoram
Date: 2021.05.24 10:35:18 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुए
	के साथ निरन्तर व निर्बाध रूप से कब्जा काश्त चला आ रहा है। चतुर्भुज की मृत्यु हो गई है और प्रार्थी हेमराज उनका एकमात्र वारिस लड़का है। सम्बन्धित वाद करीब 20 वर्ष से जेरकार है जो वर्तमान में राजस्व मण्डल अजमेर से रिमाण्ड होकर सुनवाई हेतु आया हुआ है जिसमें सुनवाई जेरकार है। यह कि चरण सं. 01 मे वर्णित भूमि पर प्रार्थी का कब्जा काश्त लगातार चला आ रहा है। यह कि प्रत्यार्थीगण प्रार्थी को भूमि पर से बेदखल करने को आमदा है तथा प्रार्थी द्वारा बोई गई फसल को नष्ट-भ्रष्ट करने पर आमदा है। यह कि यदि अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नही की गई तो प्रत्यार्थीगण प्रार्थी की फसल नष्ट भ्रष्ट कर देगें व प्रार्थी को भूमि से बेदखल कर देगें जिससे प्रार्थी को भारी क्षति होगी। अतः निवेदन है कि प्रत्यार्थीगण को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वह प्रार्थना पत्र की चरण सं. 1 मे वर्णित भूमि से प्रार्थी को बेदखल नही करें, जबरन भूमि पर कब्जा नही करे, प्रार्थी द्वारा बोई गई फसल को नष्ट भ्रष्ट नही करे, न किसी अन्य से ऐसा करवाये। प्रार्थना पत्र के जवाब मे अप्रार्थी सं. 3 ने अपना जवाब पेश किया। जवाब में अप्रार्थी सं. 3 ने निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र के समस्त तथ्य मनगढन्त, बनावटी एवं झूठ अंकित किये गए है। यह कि विवादित आराजी वन विभाग की रिकार्डेड आराजी है, जिसको न तो कभी [illegible] हो सकता है, और न ही [illegible] सकता है। स्वयं भूमिधारी द्वारा जारी जमाबन्दी मे उक्त आराजी वन विभाग के खाते में रिकार्ड मे दर्ज है। विचाराधीन वाद वन	

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyoram
Date: 2021.05.24 10:35:18 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व अहकाम हुक्म की तामील में ...
	विभाग की अरजी पर घोषणा का वाद है, जो वादी बाई नहीं है, तथा वाद एवं प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सव्यय निरस्त फरमाया जावें। हमने प्रार्थना पत्र, शपथ-पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र, प्रस्तुत रिकार्ड दस्तावेजों का अवलोकन किया। प्रार्थना पत्र पर बहस उभयपक्षकारान सुनी गई। अप्रार्थीगण को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः ग्राम मानपुरा तहसील नैनवां में खसरा संख्या 64 रकबा 8 बिस्वा, खसरा सं. 66 रकबा 17 बिस्वा, खसरा सं. 67 रकबा 3 बीघा 15 बिस्वा कुल किता 3 कुल रकबा 5 बीघा भूमि पर तार्फैसला वाद रेकार्ड एवं मौके की यथा स्थिति बनाये रखे जाने के आदेश दिये जाते है। निर्णय खुले न्यायालय मे सुनाया गया। पत्रावली मूल वाद के साथ संलग्न रहे। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी (बून्दी)	

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyoram
Date: 2021.05.24 10:35:18 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner